व्यवसाय योजना

आय सृजन गतिविधि – मधुमक्खी पालन

द्वारा

शुथानांग मेटिंग – स्वयं सहायता समूह





स्वयं सहायता समूह/सामूहिक हित समूह का नाम	::	शुथानांग मेटिंग
वन ग्राम विकास समिति का नाम	::	रामनी
वन परिक्षेत्र	::	भाबा नगर
वन मंडल	::	किन्नौर

इसके अंतर्गत तैयार:

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना (जाइका द्वारा सहायता प्राप्त)

विषय-सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	स्वयं सहायता समूह/सामूहिक हित समूह का विवरण	3
2	लाभार्थियों का विवरण	4,5
3	गाँव का भौगोलिक विवरण	5
4	कार्यकारी सारांश	5
5	आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण	6
6	उत्पादन योजना	6
7	बिक्री एवं विपणन	6
8	जोखिम विश्लेषण	6
9	सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण	7
10	आर्थिक विवरण	7
11	आय एवं व्यय का विश्लेषण	8
12	धनराशि की आवश्यकता	8
13	धनराशि के स्रोत	9
14	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	9
15	ऋण की अदायगी	9
16	निगरानी की विधि	9
17	टिप्पणी	9
18	समूह के सदस्यों के छायाचित्र	10-11

1. स्वयं सहायता समूह/सामूहिक हित समूह का विवरण

2.1	स्वयं सहायता समूह/सामूहिक हित समूह का नाम	::	शुथानांग मेटिंग
2.2	वन ग्राम विकास समिति	::	रामनी
2.3	वन परिक्षेत्र	::	भाबा नगर
2.4	वन मंडल	::	किन्नौर
2.5	गाँव	::	रामनी
2.6	विकास खंड	::	भाबा नगर
2.7	जिला	::	किन्नौर
2.8	स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की कुल संख्या	::	12 (पुरुष – 12)
2.9	गठन की तिथि	::	06thJune,2026
2.10	बैंक खाता संख्या	::	26110114753
2.11	बैंक का विवरण	::	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, तापरी
2.12	स्वयं सहायता समूह/सामूहिक हित समूह की मासिक बचत	::	100
2.13	कुल बचत		6600
2.14	कुल आंतरिक ऋण		-
2.15	नकद ऋण सीमा		--
2.16	ऋण अदायगी की स्थिति		--

2. लाभार्थियों का विवरण:

क्रमसंख्या	नाम (श्री/श्रीमती)	पिता/पति का नाम (श्री)	आयु	श्रेणी	पद	आय का स्रोत	संपर्क संख्या
1.	श्री राजेश कुमार	श्री भाग सैण	57	अनुसूचित जनजाति	प्रधान	कृषि	8988203175
2.	श्री विजय सिंह	श्री जगत सिंह	55	अनुसूचित जनजाति	सचिव	कृषि	9459800998
3.	श्री सुनील कुमार	श्री देवी चंद	32	अनुसूचित जनजाति	सदस्य	कृषि	7649934776
4.	श्री देव भगत	श्री गोपाल ध्वज	46	अनुसूचित जनजाति	सदस्य	कृषि	9459035463
5.	श्री प्रशांत	Late श्री चे नरगू	32	अनुसूचित जनजाति	सदस्य	कृषि	7649934960
6.	श्री वीरेंद्र सिंह	श्री जगदीश चंद	48	अनुसूचित जनजाति	सदस्य	कृषि	8988530633
7.	श्री रोहित	श्री रामेश्वर सिंह	44	अनुसूचित जनजाति	सदस्य	कृषि	9805925424
8.	श्री जवाहर सिंह	श्री गोविंद सिंह	38	अनुसूचित जनजाति	सदस्य	कृषि	8988203507
9.	श्री श्रीकांत	श्री राज पाल	28	अनुसूचित जनजाति	सदस्य	कृषि	7649943882
10.	श्री केशव सिंह	श्री राजेंद्र सिंह	48	अनुसूचित जनजाति	सदस्य	कृषि	9459380081
11.	श्री वीरभद्र सिंह	श्री हाइगा चंद	42	अनुसूचित जनजाति	सदस्य	कृषि	9418301364
12.	श्री चंद्र प्रकाश	श्री ठाकुर लाल	36	अनुसूचित जनजाति	सदस्य	कृषि	8988185513

3.गाँव का भौगोलिक विवरण

3.1	जिला मुख्यालय से दूरी	::	86Km
3.2	मुख्य सड़क से दूरी	::	16Km
3.3	स्थानीय बाजार का नाम एवं दूरी	::	रामनी, जानी, तापरी & surrounding, रिकांग पिओ & रामपुर
3.4	Name of main market &distance	::	रिकांग पिओ-40Km,भाबा नगर-20Km,जेओरी-45 Km &रामपुर-70Km
3.5	प्रमुख शहरों के नाम एवं दूरी	::	रिकांग पिओ-40 Km&रामपुर-70 Km
3.6	वे स्थान/बाजार जहाँ उत्पाद बेचा/विपणन किया जाएगा	::	रिकांग पिओ-40 Km,BhabaNagar-20 Km, जेओरी-45 Km & रामपुर- 70 Km

4.कार्यकारी सारांश

रामनी गाँव, ग्राम पंचायत रामनी का हिस्सा है। यह गाँव अच्छी गुणवत्ता वाले सेब, बेहमी और मोटे अनाज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गाँव के मध्य में सत्यनारायण देवता का मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त, रामनी गाँव के स्थानीय लोग अन्य अनाज वाली फसलें भी उगाते हैं।

इस क्षेत्र में सेब, नाशपाती, जंगली खुबानी और बेहमी आदि बागवानी प्रजातियाँ पाई जाती हैं तथा लोग इनकी खेती/उत्पादन में लगे हुए हैं। बागवानी फसलों के अलावा लोग भेड़ एवं बकरियाँ भी पालते हैं।

मधुमक्खी पालन एक महत्वपूर्ण, टिकाऊ एवं पर्यावरण-अनुकूल गतिविधि है। यह वानिकी, सामाजिक वानिकी और कृषि को सहारा देने वाली गतिविधियों से जुड़ी है। इससे पोषण, आर्थिक एवं पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है तथा रोजगार और आय के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। इस क्षेत्र में मधुमक्खी पालन की अच्छी संभावनाएँ हैं और यह यहाँ के लोगों के लिए आय का एक स्रोत बन सकता है।

मधुमक्खी पालन कम निवेश और कौशल पर आधारित एक गतिविधि है, जिसमें स्थानीय निवासियों, बेरोजगार युवाओं और किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार देने की क्षमता है। इसलिए, स्थानीय लोगों के कल्याण एवं विकास के लिए इस गतिविधि का टिकाऊ बने रहना महत्वपूर्ण है।

मधुमक्खी पालन ग्रामीण समुदायों की आजीविका में निम्नलिखित महत्वपूर्ण तरीकों से अहम भूमिका निभाता है:

(i) यह आय सृजन करने वाली गतिविधि है;
(ii) यह भोजन एवं औषधीय उपयोग के लिए शहद तथा छत्ते से प्राप्त अन्य मूल्यवान उत्पाद उपलब्ध कराता है;
(iii) यह पर-परागण के माध्यम से कृषि गतिविधियों को सहायता देता है और फसलों की पैदावार बढ़ाता है;
(iv) यह वन संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है;
(v) यह किसानों को अतिरिक्त आय भी प्रदान करता है।

इसलिए, रामनी गाँव के लोगों ने पहले से गठित/कार्यरत स्वयं सहायता समूहों (बुनाई और वर्मी कम्पोस्टिंग) के अतिरिक्त इस गतिविधि को आय सृजन गतिविधि के रूप में अपनाने की इच्छा व्यक्त की। वन ग्राम विकास समिति रामनी के समूह सदस्यों ने मधुमक्खी पालन को तीसरी आय सृजन गतिविधि के रूप में शुरू करने की इच्छा जताई। तदनुसार, लोगों को जागरूक किया गया और शुथानांग मेटिंग नामक स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया।

5.आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण

1.	उत्पाद का नाम		शहद
2.	उत्पाद का चयन करने की विधि		इस गतिविधि का चयन स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा किया गया है।
3.	स्वयं सहायता समूह/सामूहिक हित समूह/क्लस्टर के सदस्यों की सहमति		हाँ

6.उत्पादन योजना का विवरण

6.1	लगने वाला समय	::	मधुमक्खी पालन के लिए वसंत ऋतु सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इस मौसम में तापमान अनुकूल रहता है और पौधों में फूल खिलना भी शुरू हो जाता है।
6.2	शामिल सदस्यों की संख्या	::	12(Male-12).

6.3	कच्चे माल का स्रोत	::	गाँव स्वयं
6.4	अन्य संसाधनों का स्रोत	::	स्थानीय बाजार/मुख्य बाजार
6.5	प्रति चक्र आवश्यक मात्रा (किलोग्राम)	::	5 किलोग्रामevery75 to 90 days per box
6.6	प्रति दिन अपेक्षित मात्रा	::	23ltr.per day from 50किलोग्रामof seeds. 5 किलोग्रामper boxकुल2.50Qtl.Every 75-90days duration.

7.विपणन/बिक्री का विवरण

7.1	संभावित बाजार/स्थान	::	रिकांग पिओ-40 Km, BhabaNagar-20 Km,जेओरी-45 Km &रामपुर-70Km
7.2	मांग	::	पूरे वर्ष।
7.3	बाजार की पहचान की प्रक्रिया	::	समूह के सदस्य आसपास के गाँवों/बाजारों से संपर्क करेंगे।
7.4	विपणन रणनीति		स्वयं सहायता समूह के सदस्य आसपास के गाँवों/बाजारों से सीधे ऑर्डर प्राप्त करेंगे।

8. स्वॉट (ताकत, कमजोरी, अवसर एवं खतरे) विश्लेषण

- ताकत –
  - यह गतिविधि पहले से ही स्वयं सहायता समूह के कुछ सदस्यों द्वारा की जा रही है।
  - कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है।
  - मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया सरल है।
  - उचित पैकेजिंग तथा परिवहन में आसानी।
  - उत्पाद लंबे समय तक सुरक्षित रहता है।
- कमजोरियाँ –
  - फूल आने के मौसम में तापमान एवं आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है।
  - इस कार्य में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है।
  - सर्दी एवं बरसात के मौसम में उत्पाद तैयार करने का चक्र लंबा हो जाएगा।
- अवसर –
  - खाँसी एवं जुकाम में औषधीय उपयोग के कारण सर्दियों में इसकी मांग अधिक रहती है।
  - लगभग हर परिवार आवश्यकता पड़ने पर औषधि के रूप में उपयोग करने के लिए अपने घर में शहद रखता है। इसलिए शहद की मांग बनी रहती है।
- खतरे/जोखिम –
  - विशेषकर सर्दी एवं बरसात के मौसम में फूल आने और पैकेजिंग के समय तापमान एवं नमी का प्रभाव।
  - ओलावृष्टि एवं भारी वर्षा के कारण वनस्पतियों में फूलों की कमी हो सकती है, जिससे शहद का उत्पादन घट सकता है।

बाजार में आकर्षक पैकेजिंग वाले ब्रांडेड कंपनियों के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा।

- बाजार कम दूरी पर स्थित है, इसलिए परिवहन खर्च कम होगा।

10.सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण

स्वयं सहायता समूह के सदस्य आपसी सहमति से कार्य के निष्पादन हेतु अपनी भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ तय करेंगे। सदस्यों की मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं के अनुसार कार्य का विभाजन किया जाएगा।

- कुछ समूह सदस्य उत्पादन-पूर्व प्रक्रिया (जैसे कच्चे माल की खरीद आदि) में शामिल होंगे।
- कुछ समूह सदस्य उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होंगे।
- कुछ समूह सदस्य पैकेजिंग एवं विपणन में शामिल होंगे।

11. आर्थिक विवरण:

A.	पूंजीगत लागत			
क्रम संख्या	विवरण	मात्रा (संख्या में)	इकाई मूल्य (रु. में)	कुल राशि (रु.)
1.	कॉलोनी सहित एपिस मेलिफेरा मधुमक्खियाँ	120	4090	4,90,800
2.	शहद निकालने की मशीन	1	7220	7220
3.	स्मोकर, मधुमक्खी घूँघट/सुरक्षा जाली तथा मधुमक्खी छत्ता उपकरण	500,90,60respectively	Ls	790
4.	सुपर चैंबर	12	440	5280
5.	छत्ते का फीडर	12	70	840
6.	छत्ते का स्टैंड	12	90	1080
7.	भीतरी ढक्कन	12	40	480
8.	रानी मधुमक्खी रोकने वाला जाल	12	90	1080
	कुल पूंजीगत लागत (क) =			**5,07,508**

B.	आवर्ती लागत				
क्रम संख्या	विवरण	इकाई	मात्रा	Price	कुल राशि (Rs)
1.	मधुमक्खियों द्वारा चीनी की वार्षिक खपत (रसायन-मुक्त)	किलोग्राम	400	55	22000
2.	खाद्य-ग्रेड सामग्री की वार्षिक आवश्यकता	संख्या	25	120	3000
	(20 किलोग्राम क्षमता वाली बाल्टियाँ)				
3.	मरम्मत एवं रखरखाव	माह	LS		500
4.	ढुलाई एवं परिवहन	माह	LS		500
5.	विविध व्यय (बिल बुक, रसीद बुक आदि)				500
कुल आवर्ती लागत (ख)					**26,500**

C.	उत्पादन लागत (मासिक)	
क्रम संख्या	विवरण	राशि (रु.)
1.	कुल आवर्ती लागत	26,500
2.	पूंजीगत लागत पर वार्षिक 10% मूल्यह्रास	2650
	कुल	**29,150**

D.	विक्रय मूल्य				
क्रम संख्या	विवरण	इकाई	मात्रा	दर(रु.)	राशि (रु.)

1	शहद	किलो ग्राम	750	1100	8,25,000

E.	वार्षिक आय एवं व्यय					
क्रम संख्या	विवरण	इकाई	मात्रा	दर	राशि (रु.)	टिप्पणी
1.	उत्पादन लागत 1cycle=2.50qtl*3 cycle = 7.50qtl	किलो ग्राम	750किलोग्राम	137/-	103000/-	समूह के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले श्रम की लागत इसमें शामिल नहीं है।
2.	उत्पाद का अपेक्षित विक्रय मूल्य 1cycle=2.50qtl*3cycle=7.50qtl	किलो ग्राम	750 किलोग्राम	1100/-	825000/-	यह बाजार दर में कमी या वृद्धि पर निर्भर करेगा।
3.	श्रम लागत सहित स्वयं सहायता समूह की वार्षिक आय	किलो ग्राम	750किलोग्राम	1100/-	825000/-	Labour done by the group सदस्यs will be met with out of Annual income.

12.आय एवं व्यय का विश्लेषण:

क्रम संख्या	विवरण	राशि (रु.)
1.	10% depreciation माहly on capital cost	2650
2.	कुल आवर्ती लागत	26500
3.	एक मौसम में निकाले जाने वाले शहद की कुल मात्रा	750 किलोग्राम (approx. मात्रा)
4.	शहद का विक्रय मूल्य	1100
5.	आय सृजन (750*1100)	8,25,000
6.	शुद्ध लाभ (825000-424310)	4,00,690
7.	शुद्ध लाभ का वितरण	• कुल लाभ सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा। • लाभ का एक हिस्सा आय सृजन गतिविधि में आगे निवेश के लिए उपयोग किया जाएगा।

13.धनराशि की आवश्यकता:

क्रम संख्या	विवरण	कुल राशि (रु.)	Project contribution	SHG contribution
1	कुल capital cost	**5,07,508**	3,80,631	1,26,877
2	कुल आवर्ती लागत	26,500	0	26,500
3	प्रशिक्षण	25000	25,000	0
	कुल	5,59,008	4,05,631	1,53,377

Note-

- **पूंजीगत लागत – पूंजीगत लागत का 75% परियोजना द्वारा और 25% स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया जाएगा।**
- **आवर्ती लागत – स्वयं सहायता समूह/सामूहिक हित समूह द्वारा वहन की जाएगी।**
- **प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन का खर्च परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा।**

14.धनराशि के स्रोत:

परियोजना सहायता;	• पूंजीगत लागत का 75% मशीनों की खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा। • अधिकतम 1 लाख रुपये की रिवॉल्विंग निधि वन ग्राम विकास समिति के बैंक खाते में रखी जाएगी। • प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन की लागत।	मशीनों की खरीद संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा सभी निर्धारित औपचारिकताओं का पालन करने के बाद की जाएगी।
समूह का अंशदान	• पूंजीगत लागत का 25% स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया जाएगा। • आवर्ती लागत स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी।	

15.प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन का खर्च परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा। निम्नलिखित प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

- टीम भावना से कार्य करना
- गुणवत्ता नियंत्रण
- पैकेजिंग एवं विपणन
- वित्तीय प्रबंधन

16.ऋण अदायगी की समय-सारणी –

यदि बैंक से ऋण लिया जाता है, तो वह नकद ऋण सीमा (सीसीएल) के रूप में होगा। सीसीएल के लिए कोई निश्चित अदायगी समय-सारणी नहीं होती; तथापि, सदस्यों की मासिक बचत और उनसे प्राप्त ऋण अदायगी की राशि सीसीएल के माध्यम से जमा की जानी चाहिए।

- सीसीएल में स्वयं सहायता समूह की मूलधन की बकाया राशि बैंक को वर्ष में एक बार पूरी तरह चुकानी होगी। ब्याज की राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- सावधि ऋण के मामले में अदायगी बैंक की निर्धारित समय-सारणी के अनुसार की जानी चाहिए।

17.निगरानी की विधि –

- वन ग्राम विकास समिति की सामाजिक अंकेक्षण समिति आय सृजन गतिविधि की प्रगति एवं प्रदर्शन की निगरानी करेगी और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी,

ताकि इकाई का संचालन निर्धारित अनुमान/योजना के अनुसार सुनिश्चित हो सके।

- स्वयं सहायता समूह को भी प्रत्येक सदस्य की आय सृजन गतिविधि की प्रगति एवं प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए, ताकि इकाई का संचालन निर्धारित अनुमान/योजना के अनुसार हो सके।

18.टिप्पणी.

19.समूह के सदस्यों के छायाचित्र –



वीरभद्र सिंह



राजेश कुमार



विजय सिंह



देव भगत



श्रीकांत



रोहित



सुनील कुमार

केशव सिंह



प्रशांत



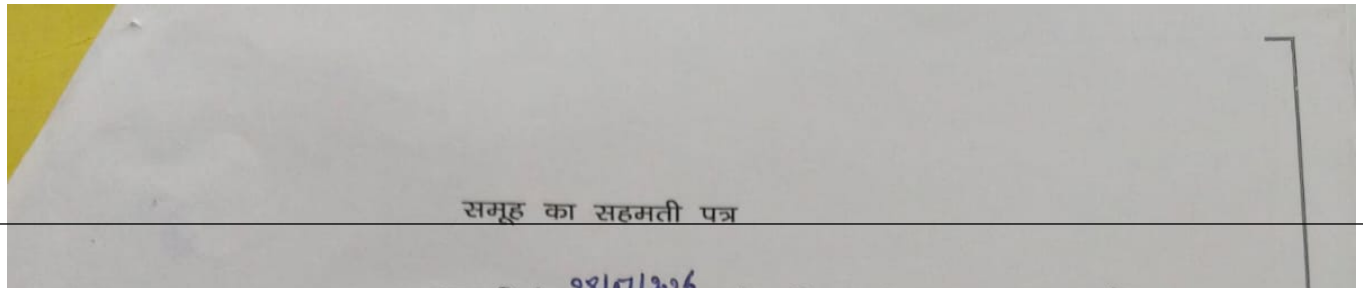
चंद्र प्रकाश



वीरेंद्र सिंह



जवाहर सिंह



Project for Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and Livelihoods

Memorandum of Understanding

Between

The .....RAMNI.....Village Forest Development Society/ BMC Sub Committee

And

The Forest Department (represented by DFO KINNAUR) for Participatory Forest Management.

Whereas

- The RAMNI.....Village Forest Development Society/ BMC Sub-Committee (hereinafter called "Society") has been constituted as per procedure described in the HP PFM Regulations notified by Govt. of HP vide No. FFE-C (9) 1/2001 dated 23.8.2001 and vide No.FFE-B-F (5) 5/2016- Pam III dated 19.11.2018, by the Villagers of RAMNI village Forest Development Society/ BMC Sub-Committee in district KINNAUR and Forest Division KINNAUR Himachal Pradesh and has an elected Executive Committee (hereinafter called "EC"),

- as part of the Japan International cooperation Agency (JICA) supported "Project For Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and livelihoods" (hereinafter called -Project") the Micro plan (Forest Ecosystems Management Plan & Community Development & Livelihood Improvement Plan) for Forest Management and Community Development (hereinafter called "Plan") for Forest protection, rehabilitation and management of the specified forest areas has been jointly prepared by the Society and the Forest Division

- the Plan contains details of program for conservation, management and development of forest areas, Biodiversity conservation, Livelihood improvement works and also the description of equitable distribution of usufructs obtained from allocated forest areas and public resources of the ward/village;

- the Plan has been approved by the Officer in Charge of the Forest Division (here- in after called "Forest Officer") on behalf of Government of Himachal Pradesh;

Now here with

The .KINNAUR.... Forest Division and the Society have mutually agreed on this MoU, and consequently. This MoU is executed with the following articles;

1. **Purpose of the Memorandum of Understanding**

This Memorandum of Understanding (hereinafter called -Man details the responsibilities of the Society regarding management and protection of forest areas) and village(s) resource development, in the manner specified in the Plan and for equitable distribution of benefits amongst its members. It further details payments and support to be provided by the project and the associated conditions.

2. **Responsibilities of the Society**

2.1 With regard to its Constitution, working, powers, duties and benefits, the Society agrees to act in accordance with the HP Government Notification No. FFE-B-F (9) 1/2001 dated 23.8.2001 and vide No.FFE-B-F (5) 5/2016- Part- III dated 19.11.2018, and other relevant Government orders and instructions.

2.2 The Society agrees to provide all necessary assistance to the Forest Officer in selection of forest area(s) to be allotted to it for forest management and development so that there is no dispute regarding areas of common use of nearby villages.

Society agrees to implement the necessary corrections/improvements suggested by the Forest Officer.

2.13. Society agrees to ensure that there will be no miss utilization of funds provided by Forest Department for implementing project activities.

2.14. Society will open two accounts of VFDS/BMC (Sub-Committee), One for FEMP implementation (FE Account) and second one as; revolving fund under Livelihood activities (CD&LI Account).

4.5. The funds earmarked for Plantations, soil and water conservation. Biodiversity conservation etc..willbecredited into the VFDS/BMC (Sub-Committee) bank account according to six-month plan requirement (prepared from Micro plan)of VFDS/BMC (Sub-Committee).In addition, VFDS/BMC (Sub-Committee) to open an account for Livelihoods activity.

4.6. Payment and receipt of project funds will be strictly by means of cheques online

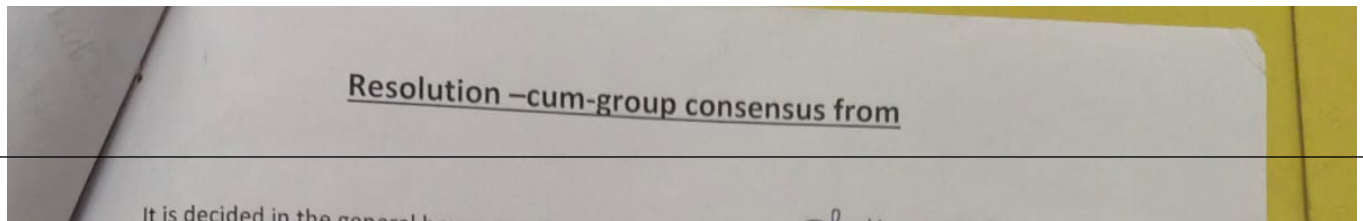
6.3. A participatory monitoring committee made up of members of the Society, a member from the Panchayat as well as a representative from the Forest Department (e.g. Deputy RO) will on quarterly basis review objectives, inputs and work progress and report to the whole Society. Their reports will then be sent to the Forest Officer for further action.

6.4. Where Society groups have carried out or are responsible for activities like social

(Sub-committee),declare on behalf of the Society,that I am committed to follow all the conditions mentioned in this MOU and am signing this memo after reading/understanding all conditions mentioned herein, literally and I understand their original meaning.

Business Plan Approval by VFDS &DMU

Shubhangi Matiyal Self help group will undertake the ----Bee keeping----------
As livelihood generation activity under the project for improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems & management & livelihood (JICA Assisted). In this regard business plan of amount (Rs.) ----5,59,008--------has been submitted by this group on dated ----------


Resolution –cum-group consensus from